"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-44/2008/वाक/पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विक्रय कर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 9 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्यिक कर विभाग	छत्तीसगढ़ राजपत्रित (वाणिज्यिक कर) सेवा नियम, 1966				
	1. वाणिज्यिक कर अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से कम्प्यूटर साइंस (एमसीए/एम.एस.सी.-कम्प्यूटर) में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए.	

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक एफ 10-44/2008/वाक/पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-44/2008/वाक/पांच (19), दिनांक 25-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 25th March 2011

NOTIFICATION

No. F 10-44//2008/CT/V(19).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sales Tax Class-I and II Service Recruitment Rules, 1966 with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules :—

For Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"Schedule-III
(See Rule 9)

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Minimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Educational Qualification (5)	Remarks (6)
Commercial Tax Department	Chhattisgarh Gazetted (Commercial Tax) Service Rule, 1966.				
	1. Commercial Tax Officer	21 Years	30 Years	A candidate must hold a Graduation Degree by any recognized University.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Programmer	21 Years	30 Years	A candidate must hold a Master Degree in Computer Science (MCA/ M.Sc. - Computer) or Degree in Computer Engineering from recognized University.	

Note :— The Maximum age limit for the domicile candidates of the State of Chhattisgarh shall be relaxable by the direction issued by the General Administrative Department from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.